areas, tribal areas and non EAS blocks of Intensified Jawahar Rozgar Yojana (IJRY) blocks after the amalgamation of URY w.e.f. 1-1-1996.

Statement

Details of targets fixed and achievements made during 1994-95, 1995-96 *and* 1997-98 *under mqjor poverty alleviation schemes in Punjab and in the conntry.*

I. *Integrated Rusai Development Programme (IRDP) (No. of famines assisted)*

	Punjab		All India	
	Targets fixed	Achievement	Targets fixed	Achievements
1994-95	10464	22701	21,15097	22,15421
1995-96	Not fixed	11786	Not fixed	20,89400
1997-98 (Upto June 97)	Not fixed	228	-do-	76411

II *Jawahar Rozgar Yojana (JRY) {Lakh manday)*

1994-95	25.39	24 36	9865.45	9517.0 7
1995-96	28.25	6-44	8480'05	8958.25
1997-98 (Upto June, 97)	11.95	028	4144 43	339 00

III Employment Assurance Scheme (EAS)

1994-95	AS is not being imple-mentedin Punjab	beiag a self driven sclieme targets are not fixed	2739.56
1995-96			3465.27
1997-98 (Upto June, 97)			578.76

Coartruction of houses under lAY

2438. DR. B. B. DUTTA; Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be Pleased to sute:

(a) the State-wise target fixed for the construction of houses under Indira Awaas Yojana during the Eighth Five Year Plan;

(b) the details of the achievements made alongwith the details of the expenditure incurred thereon, Statewise; and

(c) the targets fixed for the construction of houses under lAY for the Nine Five Year Plan, State-wise?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) Mid (b) The Statewise targets fixed for the construction of houses under Indira Awaas Yojana during the Eighth Five Year Plan and the details of the achievements made alongwith the details of the expenditure incurred thereon. State-wise is given in the statement *(see below).*

(c) State wise targets are fixed under lAY on year to year basis depending upon the total allocation and permissible unit cost. Around 7 lakh houses are targetted for construction during 1997-98.

Statement

Indira Awads Yojna Financial & Physical Achievement During ih Plan

Name of the State.	Funds Utilised (Rs. lalchs)	Houses Target (in Nos.)	Houses constructed (in Nos.)
1	2	3	4
Andhra Pradesh	28361.48	252852	228608 5
Arunachal Pradesh	218.72	2136	1364
Assam.	7700.21	68044	50475
Bihar.	62733 95	505899	42411 5
Goa.	162-78	3176	217
Gujarat.	10779.34	88852	82152
Haryana	3186.86	22301	21267
Himachal Fradesh	935.43	6754	5933
Jiimau & Kashmir	2048 61	19156	16263
Karnataka	18383.62	141185	112811
Kerala	13246 95	70683	92218
Madhya Pradesh.	31940 41	342917	356319
Maharashtra	33785.41	211528	175352
Manipur.	301 21	2446	2117
Meghalaya.	288.66	3239	1921
Mizoram.	277.74	1436	1770
Nagaland.	670.83	3444	4504
Odssa.	21286.85	165926	140835
Punjab.	2469.26	24086	12391
Rajasthan	17435.09	132789	147871

(1)	(2)	(3)	(4)
Sikkim	41291	2172	2215
Tamil Nadu	47248-37	191801	202187
Tripura	593-42	3428	3877
Uttar Pradesh	57958 38	*559309*	419722
West Bengal	15757 03	193448	111215
A&NIslands.	107.28	959	101
D & N Haveli	3637	673	230
Daman & Diu	32 36	322	233
Lakshadweep	17-12	205	115
Pondicherry	83 66	932	244
TOTAL :	♦378460. 31	3021898	2620660

*Provisional

मधुबनी जिले में सामाजिक और शैक्षणिक विकास केन्द्र के विरूद्व कार्यवाही

2439. **श्री राम देव भंडारी** :क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री 20 मार्च, 1997 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2822 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कपार्ट में बिहार के मधुबनी जिला स्थित सामाजिक और शैक्षणिक विकास केन्द्र पयराही, झंझापुर (रेलवे स्टेशन के विरूद्व आगे धन बंद करने के अतिरिक्त और क्या कार्यवाही की हैं;

(ख) क्या कोष के दुरूपयोग के मामले आगे धन देना बन्द कर देना ही पूर्ण कार्यवाही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में धन वसूल करने एफ.आई. आर. दर्ज कराने और काली सूची में डाल देने जैसी कार्यवाही शुरू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ)क्या एक संयुक्त दल द्वारा मूल्यांकन किये जाने के पश्चात् 9.47 लाख रूपये की वसूली की कार्यवाही के मामले में विलम्ब करने में कपार्ट के कुछ अधिकारियों का हाथ हैं; और

(ड.) यदि नहीं, तो इस मामले में की जा रही कार्यवाही की स्थिति क्या हैं और अन्य ब्यौरा क्या हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु) : (क) से (ग): आगे सहायता बन्द करना एक अंतरिम उपाय हैं। कपार्ट की वर्तमान नीति के अनुसार स्वैच्छिक संगठन को नोटिस जारी किया गया जाता हैं जिससे यह कहा जाता हैं कि नोटिस जारी करने की तारीख के एक माह के अन्दर कारण बताएं कि क्यों न उसे काली सूची में डाल दिया जाए। नोटिस की अवधि समाप्त होने पर मामले को या तो बन्द कर दिया जाता हैं अथवा काली सूची में डालने के लिए निगरानी और मूल्यांकन संबंध राष्ट्रीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हैं यदि राष्ट्रीय स्थायी समिति काली सूची में डालने का आदेश देती हैं तो स्वैच्छिक संगठन को दी गई सहायता वापस ले ली जाती हैं और संबंधित जिले के पुलिस अधिक्षक के पास काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठन के कर्मचारियों के विरूद्व धोखाधड़ी आपराधिक न्यासंभग और सार्वजानिक निधियों के दुर्विनियोज के लिए आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर